**न्यायालय :: जनपद न्यायाधीश, एटा**

उपस्थितः दिनेश चन्द, 'एच0जे0एस0'

जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी06538

**व्यवहार प्रकीर्ण वाद सं0 166/2025**

**श्री आनन्द कुमार जैन आदि बनाम श्री हृदेश वयस्क।**

**–निस्तारण प्रार्थनापत्र 4ए1–**

**16–03–2026**

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 4ए1 पर सुना गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 4ए1 इस आशय से दिया गया है कि उपरोक्त प्रकीर्ण अपील में दिनांक 02.09.2025 वास्ते सुनवाई नियत थी, उक्त दिनांक को पैरोकार अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये तथा अधिवक्ता अपीलार्थीगण लंच से पूर्व जब न्यायालय में पहुंचे उस समय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी०डी० गोयल किसी मामले में बहस कर रहे थे, जिसके कारण अधिवक्ता आवेदकगण अन्य वाद की पैरवी हेतु न्यायालय से चले गये। लंच से पूर्व न्यायालय से जाने से पूर्व अधिवक्ता अपीलार्थी सम्बन्धित पेशकार साहब को अपने उपरोक्त वाद की बावत जानकारी देकर चले गये। लंच के उपरान्त जब अधिवक्ता अपीलार्थी न्यायालय में पहुंचे तो उससे पूर्व ही अपीलार्थी की अपील अनुपस्थिति में निरस्त कर दी गयी, जिससे सख्त हकतल्फी व अपूर्तिनीय क्षति अपीलार्थीगण की हुई है। अपीलार्थीगण द्वारा जानबूझकर अपील की पैरवी में कोई लापरवाही कारित नहीं की है, बल्कि महज परिस्थितिवश पुकार पर पैरोकार अथवा अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। न्यायहित में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.9.2025 रीकॉल/निरस्त किया जाकर प्रकीर्ण अपील संख्या 13/2025 को अपने मूल नम्बर पर कायम किया जाकर उसको गुण व दोष के आधार पर निर्णीत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि न्यायहित में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.9.2025 रीकॉल/निरस्त किया जाकर प्रकीर्ण अपील संख्या–13/2025 को अपने मूल नम्बर पर कायम किया जाकर उसको गुण व दोष के आधार पर निर्णीत किये जाने की कृपा करें।

विपक्षीगण की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदकगण द्वारा

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.03.16 17:00:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रस्तुत प्रकीर्ण व्यवहार अपील 184/2015 श्री आनन्द कुमार जैन बनाम श्री हृदेश आदि इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.09.2025 द्वारा आवेदकगण की अनुपस्थित के कारण निरस्त कर दिया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर आवेदकगण द्वारा यह पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि उक्त तिथि को अपीलार्थी के अधिवक्ता न्यायालय परिसर में उपस्थित थे, परन्तु किसी अन्य वाद में वरिष्ठ अधिवक्ता की बहस चलने के कारण तथा परिस्थितिवश वे कुछ समय के लिए अन्य वाद की पैरवी हेतु अन्य न्यायालय से चले गये थे। लंच के उपरांत जब अधिवक्ता पुनः न्यायालय में उपस्थित हुए, तब तक अपील अनुपस्थिति के आधार पर निरस्त की जा चुकी थी।

चूंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर या जानबूझकर की गयी लापरवाही का परिणाम नहीं थी, बल्कि परिस्थितिवश उत्पन्न स्थिति के कारण वे पुकार के समय उपस्थित नहीं हो सके। न्यायालयों में अधिवक्ताओं की व्यस्तता और एक ही समय पर एक से अधिक न्यायालयों में मुकदमों की पैरवी करने की विवशता एक व्यवहारिक सच्चाई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी अनुपस्थिति का जो कारण प्रस्तुत किया गया है, वह पर्याप्त कारण की श्रेणी में आता है। इसमें किसी भी प्रकार की जानबूझकर की गई लापरवाही, न्यायालय के प्रति अनादर या दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। अतः समस्त परिस्थितियों, अभिलेखों तथा न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत कारण पर्याप्त एवं न्यायोचित है तथा प्रार्थना पत्र 4ए1 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदकगण श्री आनन्द कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 4ए1 मुव0 1000/–रूपये के हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत् आदेश दिनांक 02.09.2025 अपास्त किया जाता है तथा व्यवहार प्रकीर्ण अपील संख्या– 13/2025 को उसके मूल नम्बर पर कायम किया जाता है। व्यवहार प्रकीर्ण अपील संख्या– 13/2025 सुनवाई हेतु दिनांक 06.04.2026 को पेश हो।

तदानुसार सूचित हो।

**(दिनेश चन्द)**
जनपद न्यायाधीश, एटा
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 6538